



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
**IS/ISO: 9001:2008**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU – 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. : 1215 का संशोधन सहीत नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 1215**

विषय / Sub : फ्यूल गेज को एक्सियल केबल  
**Fuel Gauge Coaxial Cable**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स फ्लू-टेफ इंडस्ट्रीस, आरवी डेनिम के सामने, बालकृष्ण टेक्स्टाइल मिल यूनिट- II के पास, ईगल मोटर्स के लेन में, नरोल-सर्खेज हाई वे, नरोल, अहमदाबाद- 382405 द्वारा विकसित तथा उत्पादित “फ्यूल गेज को एक्सियल केबल” पार्ट सं. एफ4006, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1215, दिनांक 24 अगस्त 2006 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1215 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2011 तक थी। तदुपरांत इसका संदर्भ सं.: समिलैक/5070/टीए-918 और 12 टीएएस/1ए, दिनांक 10 अगस्त 2015 द्वारा संशोधन किया गया था।

*This is to state that the “Fuel Gauge Coaxial Cable”, bearing Part No.F4006 developed and manufactured by M/s. Flu-Tef Industries, Opp Aarvee Denim, Near Balkrishna Textile Mill Unit-II, In the lane of Eagle Motors, Narol-Sarkhej Highway, Narol, Ahmedabad-382405, was issued with Type Approval No.: 1215 vide Reference No.: CEMILAC/ 5070/TA-1215, dated: 24<sup>th</sup> August 2006 with validity up to 30<sup>th</sup> June 2011. Subsequently it was amended vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-918 & 12TAs/1A, dated: 10<sup>th</sup> August 2015.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 037, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> February 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> January 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Bengaluru – 560 037, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1215 दिनांक 24 अगस्त 2006 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पांच (5) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The para five (5) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/ 5070/TA-1215 dated 24<sup>th</sup> August 2006 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूर – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।


All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA – 1215 /1R

दिनांक / Date : 01 February 2018

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

06/02/18 HR.

  
पी जयपाल / P.JAYAPAL  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)